नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Rajdhani - 15 Jul 2025 - 15raj1
epaper.navabharat.news

23 आबकारी अफसरों ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई कोर्ट में

शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने उनके खिलाफ पेश किया है चालान

नवभारत ब्यूरो। रायपुर।

छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में फंसे निलंबित 23 आबकारी अधिकारियों ने अग्रिम जमानत के लिए जिला न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका पर 18 जुलाई को सुनवाई होगी। इन सभी अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो(ईओडब्ल्यू)- एंटी करप्शन ब्यूरो(एसीबी) ने प्रकरण दर्ज किया है। न्यायालय ने इन अधिकारियों को 18 जुलाई को पेश होने का नोटिस भी जारी किया है।

गौरतलब है कि आबकारी विभाग के आबकारी अधिकारियों पर वर्ष 2019 से 2023 के बीच भ्रष्टाचार कर करीब 88 करोड़ रुपए की अवैध कमाई से चल-अचल संपत्तियां भी बनाने का आरोप है। ईओडब्ल्यू-एसीबी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह पूरा घोटाला एक संगठित सिंडिकेट के जरिए संचालित हो रहा था, जिसमें आरोपी आबकारी अधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस मामले में एक अधिकारी >> शेष पेज 5 पर